FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत तहसीलदार मण्डावर मुकाम–मण्डावर (दौसा)

सरकार .... बनाम .... प्रभू वगै0

किस्म मुकदमा– भू0 राजस्व अधि0 1956 की धारा 91 प्रकरण संख्या–03 सन्–2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज मुकदमा नम्बर–03 / 2022	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
23.05. 2022	पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट इस आशय से पेश की सम्वत् 2079 ग्राम उकरूंद भूमि ख0न0 236 रकवा 0.0025 है0 राजकीय सिवायचक् भूमि किस्म गै0मु0रास्ता पर गैर सायलान प्रभू वगै0 पुत्रान रामप्रसाद जाति मीना निवासी उकरूंद द्वारा जोतकर अतिक्रमण कर लिया है। अतिक्रमी की रिपोर्ट पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर गैर सायलान को राजस्थान भू0–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। तामील नोटिस प्राप्त होने पर गैर सायल रामफूल उपस्थित हुआ। जिसके द्वारा साधे कागज पर अपना जवाब पेश किया गया और अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया गया। जिससे गैर सायलान का अतिक्रमण सिद्ध होता है। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं पाया गया कि उक्त प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतः गैर सायलान का अतिक्रमण सिद्ध होने से गैर सायलान को उक्त अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया जाता है तथा भू–राजस्व लगान दर 0.11 रूपये का 50 गुणा 6 रूपये पेनल्टी राशि से दण्डित किया जाता है। बेदखली, वसूली हेतु आई0एल0आर0 / पटवार हल्का को लिखा जावे। मांग कायमी TRA करावे। बाद तकमील पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) तहसीलदार तहसील मण्डावर (दौसा) रा. के. ले.-4 वर्ष 2022-23 के पृष्ठ सं. 51 पर 6 रु. मांग कायम की गई।	

(हस्ताक्षर)

तहसील राजस्व लेखाकार